न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 08/2024

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
दुर्गाराम पुत्र बगताराम जाति मेघवाल निवासी पापासनी तहसील खींवसर जिला नागौर।		1 तहसीलदार खींवसर जिला नागौर। 2 धन्नाराम पुत्र जीयाराम 3 नैनाराम पुत्र धन्नाराम 4 नारायणराम पुत्र धन्नाराम जातियान मेघवाल निवासीगण पापासनी तहसील खींवसर जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री जोराराम मेहरा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से।
3. श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 2 से 4 की ओर से।

निर्णय दिनांकः 28.11.2025

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, खींवसर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 44/2023 सरकार बनाम दुर्गाराम में निर्णय दिनांक 13.02.2024 के तहत मौजा पापासनी की भूमि से बेदखली व शास्ति से असंतुष्ट होकर दिनांक 06.03.2024 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 18.03.2024 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय वकील उपस्थित हुए तथा रेस्पोडेंट संख्या 02 से 04 की ओर से श्री बाबूलाल खोजा अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपीलांट द्वारा अपनी अपील के समर्थन में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली संख्या 44/233 सरकार बनाम दुर्गाराम की फोटोप्रति पेश की। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मंगवाया गया।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– आदेश जैर अपील कतेई गलत, खिलाफ कानून, खिलाफ रेकर्ड व न्याय के सामान्य सिद्वांतों के विरूद्व होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– तहसीलदार को लिखित जवाब पेश कर अवगत करवा दिया था कि अपीलांट व अन्य के पुश्तेनी कब्जासुद अविभाजित सहखातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 1477 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा वाके सरहद मौजा बिरलोका मे स्थित थी, कालान्तर में बिरलोका के नये गांव पापासनी सृजित हो जाने से उक्त भूमि वर्तमान में ग्राम पापासनी तहसील खींवसर की सरहद में स्थित है तथा बिरलोका की पहले तहसील नागौर थी, कालान्तर में तहसील खींवसर हो जाने से वर्तमान में खींवसर तहसील में स्थित है। उक्त भूमि पहले उम्मेदराम पुत्र भैरूराम व बगताराम पुत्र राजूराम की सहखातेदारी की थी, कालान्तर में बगताराम का देहान्त हो जाने से उसके स्थान पर उसके विधिक उतराधिकारी गैर सायल व अन्य सहखातेदार दर्ज हुए व उम्मेदाराम स्वयं मौजूद है। उक्त मूल खसरा नम्बर 1477 रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा पर ही शुरू से ही उम्मेदाराम व बगताराम का कब्जा काश्त रहा व उसी अनुसार अपीलांट व अन्य का सम्पूर्ण रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा में लगातार आज दिन कब्जा काश्त है। चूंकि खातेदार अनुसूचित जाति के गरीब अनपढ ग्रमीण परिवेश के व्यक्ति रहे है तथा कुछ आसाजिक तत्वों ने अपीलांट की पुश्तेनी कब्जासुद खातेदारी की भूमि को खुर्द बुर्द कराने के दुराशय से बाले बाले 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि को गे.मु. सडक के रूप में दर्ज करवाने के लिए आपसी मिलीभगती से फर्जी कार्यवाही करते हुए 4 बीघा 13 बिस्वा गेर सायलान की खातेदारी में से राजस्व रेकर्ड में कम करवा कर उसके नये खसरा नम्बर 1477/1738 रकबा 0.7527 हैक्टेयर गे.मु. सडक पी.डब्ल्यू.डी. के नाम दर्ज करवा दी और इसकी कोई जानकारी अपीलांट व उसके परिजनों को व बगताराम खातेदार को नहीं होने दी। चूंकि अपीलांट व उसके परिवार वालों का मौके पर सम्पूर्ण मूल रकबा 32 बीघा 13 बिस्वा पर आज दिन कब्जा है चारों तरफ सींवे माठ, बाड, तारबंदी करके काश्त करसण करते आ रहे है मगर हाल ही में अपीलांट व उसके परिजनों ने सरकारी योजना का लाभ प्राप्त करने व के.सी.सी. ऋण सुविधा प्राप्त करने हेतु पटवारी हल्का से सम्पूर्ण किया व खतौनी आदि की नकले निकलवाई तब पता चला

28/11/25

अपर कलक्टर, नागौर

कि उनके नाम रकबा कम है यानि खसरा नम्बर 1477 रकबा 4.5325 हैक्टयर राजस्व रेकर्ड मे दर्ज है व ऑनलाईन नक्शा में हमारे खेत के पश्चिम तरफ स्थित कटाणी रास्ता के पास में हमारी खातेदारी का रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा उतर दक्षिण लम्बाई के रास्ते के लगता हुआ गे. मु. सडक नये खसरा नम्बर 1477/1738 रकबा 0.7527 हैक्टयर दर्ज हो रखा है तब अपीलांट व उसके परिजनों को आश्चर्य हुआ व जानकारों से पता करवाया तो जानकारों ने कहा कि इस बाबत म्यूटैशन का पता करके उसकी अपील करो तब म्यूटैशन के बारे में जानकारी करवाई व नकल का आवेदन पेश करने पर दिनांक 04.01.2024 को प्रमाणित प्रति मिलने पर सर्वप्रथम उक्त गैर कानूनी अवैध नामान्तरकरण संख्या 360 दिनांक 22.07.1977 की जानकारी हुई जिससे व्यथित होकर न्यायालय में म्यूटैशन अपील पेश की जो विचाराधीन है। इस प्रकार उक्त भूमि कतई सरकारी सडक/रास्ता का भाग नहीं रहा है बल्कि हमारे कब्जासुद खातेदारी की भूमि रही है तथा पीढियों से हमारा बहैसियत मालिक काबिज रहे है तथा हम वास्तविक काबिज मालिक खातेदारों की जानकारी के बिना व मुआवजा दिये बिना व किसी प्रकार से अवाप्ति की विधिक कार्यवाही किये बिना गैर कानूनी रूप से राजस्व रेकर्ड में सडक/रास्ता दर्ज किया गया है व हमारे विधिक अधिकारों पर कुठाराघात किया है व गलत दर्ज इन्दाज के आधार पर मिथ्या अतिक्रमण रिपोर्ट पेश की है व मामला सक्षम न्यायालय मे विचाराधीन है ऐसी स्थिति में अपीलांट कतई अतिक्रमी नहीं है जिससे उसके विरूद्व कार्यवाही हाजा ड्रोप करने का निवेदन किया इसके बावजूद तहसीलदार ने इन महत्पूर्ण तथ्यों को नजर अन्दाज करते हुए व सक्ष्म न्यायालय में पहले से ही म्यूटेशन अपील विचाराधीन होते हुए भी उसी भूमि बाबत अपीलाट वास्तविक काबिज वैध स्वामी को अतिक्रमी घोषित कर निर्णय जैर अपील पारित करने में भारी कानूनी व वाकियाती त्रुटि की है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्वांत है कि जब विवादित सम्पति बाबत पहले से ही ऊपर के न्यायालय में मामला विचाराधीन हो तो उसके अंतिम निस्तारण से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय को उस सम्पति/भूमि बाबत किसी प्रकार की फाइडिंग देने व निर्णय करने का अधिकार नहीं होता है अन्यथा पहले से विचाराधीन अपील का औचित्य ही समाप्त हो जाता है जो कतई विधि सम्मत नहीं है मगर अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक स्थिति को जानबूझ कर नजर अन्दाज किया है जवाब में वर्णित तथ्यों का कोई विवेचन विश्लेषण नहीं किया है तथा उनको मानने या नहीं मानने का कोई कारण दर्ज किये बिना ही सरसरी तौर पर ही जैसे कि किसी के दबाव में आकर निर्णय पारित किया है, उस हालत में निर्णय जैर अपील पारित किया होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–हस्तगत भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से गलत दर्ज हुई है मगर सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कोई शिकायत आपति रिपोर्ट नहीं है पटवारी हल्का ने बिना किसी की शिकायत के मिथ्या रिपोर्ट पेश की है जबकि उक्त भूमि कभी रास्ता के रूप में काम नहीं आई है तो ऐसी स्थिति में पटवारी हल्का को भूमाफियों के बहकावे में आकर मिथ्या रिपोर्ट करने का अधिकार ही नहीं था, इस बाबत तहसीलदार को सारी स्थिति से अवगत करवा देने के बावजूद अपने स्तर पर कोई जांच किये बिना ही तथा पटवारी हल्का के बयान लिये बिना, उससे जिरह का अपीलांट का अवसर दिये बिना ही अत्यंत ही जल्दबाजी में बिना किसी अर्जेन्सी के निर्णय जैर अपील पारित किया है जो विधि सम्मत नहीं होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–हस्तगत आराजी में से रकबा 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि मनमर्जी से सडक में दर्ज करने व उसका नामान्तरकरण बिना खातेदारों की सहमति के, बिना सूचित किये, बिना नोटिस दिये, बिना भूमि अवाप्त किये, बिना किसी प्रकार का मुआवजा दिये खातेदारों का रकबा कम करके पी.डब्ल्यू. डी. के नाम स्वीकृत करने करने का तहसीलदार को कोई कानूनी अधिकार नहीं था, जबकि पुराने समय अनुसार सम्पूर्ण रकबा पर आज दिन अपीलांट व दीगर परिवार वालो का कब्जा उपयोग उपभोग है ऐसी स्थिति में कथित नामान्तरकरण ही गलत दर्ज हुआ है उसके आधार पर भूमि की किस्म गलत दर्ज हुई है व उक्त अवैध नामान्तकरण के विरूद्व न्यायालय में अपील पहले से ही विचाराधीन है तो ऐसे अवैध नामान्तकरण के जरिये दर्ज गलत किस्म खातेदारी की आड में सहखातेदार के विरूद्व इस तरह का निर्णय पारित करने का अधीनस्थ न्यायालय को विधिक अधिकार नहीं था न है जिससे भी निर्णय जैर अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(V)– वादग्रस्त आराजी अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी समाप्त करके अन्य किसी के नाम दर्ज करने का कोई विधिक अधिकार नहीं था, धारा 42 राज. टिनेन्सी एक्ट के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्ति की खातेदारी अन्य किसी के नाम दर्ज नहीं की जा सकती है इसके बावजूद मनमर्जी से 4 बीघा 13 बिस्वा भूमि खातेदारी में से कम करके उसका गलत इन्द्राजी रेकर्ड में हई। उससे पूर्व उक्त भूमि अपीलांट व उसके परिजनों की खातेदारी में से कब, किस प्रक्रिया के दौरान कम की गयी, कौनसा आदेश, कैसे किया इस बारे में कोई सूचना व नोटिस नहीं दिया गया, सीधा ही नामान्तरकरण स्वीकृत कर दिया गया व उसके आधार पर बने रेकर्ड में आड में यह मिथ्या कार्यवाही की गयी है। जहां तक विधिक स्थिति है प्रथम तो अनुसूचित जाति के सदस्य की भूमि की खातेदारी समाप्त करने या अन्य किसी के नाम दर्ज करना

28/11/24

अपर कलक्टर, नागौर